राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष 0141–2227089, E-mail : dir_agr@rediffmail.com

क्रमांक एफ.8 ( )आ.कृ./जउप्र/Sprinkler/2016–17/2305-2432 दिनांक: 4.5.2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद .....

विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) वर्ष 2016–17 अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) योजना में वर्ष 2016–17 अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

गत वर्ष (2015–16) के जिले को आवंटित कुल भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो का 25 प्रतिशत लक्ष्य चालू वित्तिय वर्ष के लिये मानते हुये उक्त कार्यक्रमों का कियान्वयन करावें। भारत सरकार द्वारा मिशन अन्तर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम का अनुमोदन उपरान्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो का जिलेवार आवंटन कर भिजवा दिया जायेगा।

कृपया कार्यक्रम का दिशा–निर्देशानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांक एफ.8 ( )आ.कृ./जउप्र/Sprinkler/2016–17/2305-2432 दिनांक: 4.5.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, मु0।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/NMOOP/समन्वयक), मु0, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (उद्यान), उद्यान निदेशालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आदान/पौ0सं0/रसायन/एटीसी/गु.नि./विस्तार/प्र. एवं मू./NMOOP), मु0, जयपुर।
5. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, मु0 जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड..... ।
7. उप निदेशक कृषि, (सूचना/बीज/अभि0), मु0, जयपुर ।
8. समस्त उप निदेशक कृषि(वि0), जिला परिषद,..... ।
9. उप निदेशक उद्यान, कोटा/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि, मु0, जयपुर ।
11. सहायक सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, मु0, जयपुर।
12. सहायक निदेशक उद्यान, दौसा/अजमेर/टोंक/झालावाड/बारां/बून्दी/पाली/जालौर/सिरोही/भीलवाडा/चित्तौडगढ/राजसमन्द/हनुमानगढ/श्रीगंगानगर/बीकानेर/चुरु/बाड़मेर/लाडनूं(नागौर)/सीकर/झुंझुनु/भरतपुर/सवाईमाधोपुर/बांसवाडा/डुंगरपुर/प्रतापगढ/करौली/अलवर/जोधपुर/जैसलमेर ।

(आर.डी.सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) वर्ष 2016–17 अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम के समान्य दिशानिर्देश

1. **कृषक पात्रता** – योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन कम से कम 33 प्रतिशत कृषक लघु, सीमान्त एवं महिला श्रेणी के अन्तर्गत होने चाहिए। योजनान्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्यो का 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 13.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषको तथा 30 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
2. फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यकम व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसायटी/स्कूल/कॉलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नही किया जावे।
3. योजनान्तर्गत कृषक को अनुदान राशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन कार्यक्रम मे **विगत 10 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित नहीं किया गया हो।** कृषक उसी भूमि पर सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु अर्थात 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
4. **अनुदान हेतु आवेदन** : कृषक द्वारा आवश्यक रुप से पूर्ण दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के पोर्टल ssdg.gov.in पर अनुदान प्राप्त करने के लिये ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस हेतु क्षेत्र में स्थित ई–मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन–पत्र की प्राप्ति रसीद संबंधित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। कृषक द्वारा जिले में कार्यरत नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र कियोस्क की जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय अथवा ई–मित्र पोर्टल (www.emitra.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है।
5. संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा आवेदन का अनुमोदन किया जाकर सूक्ष्म सिंचाई संयत्रं स्थापन्न हेतु फव्वारा/रेनगन संयत्रं की लक्ष्यों की सीमा में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
6. प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना तत्दिवस ई–मेल द्वारा उपनिदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद को प्रेषित की जावेगी ताकि निश्चित समयावधि के दौरान संयंत्र स्थापन की मॉनीटरिंग की जा सके।

7. स्थापित फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद द्वारा उपलब्ध बजट सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जावेगा।

8. मिशन अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में आवंटित लक्ष्यानुसार फव्वारा सिंचाई संयंत्र एवं मोबाईल रेनगन पर कृषक श्रेणीवार अनुदान राशि का भुगतान कृषक श्रेणीवार आवंटित बजट से किया जायेगा।

9. फव्वारा सिंचाई संयंत्र एवं मोबाईल रेनगन कार्यक्रम मे एक कृषक को अधिकतम दो हैक्टेयर की सीमा तक लाभान्वित किया जा सकता है।

10. जिले को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों में ही फव्वारा सिंचाई एवं मोबाइल रेनगन संयत्र पर कृषक को अनुदान दिया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी भी स्थिति में लम्बित देनदारिया स्वीकार्य नही होगी। भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति अधिक हो सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक राशि व्यय नही की जावे।

12. **अनुदान/सहायता–**

अ–फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन व गेहूँ – अनाज एवं दलहनी फसलों में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 10000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, अनुदान देय है।

राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) – तिलहनी फसलों में फव्वारा सिंचाई संयंत्र के क्रय पर अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में DPAP/DDP क्षेत्र एवं Non-DPAP/DDP क्षेत्र के सामान्य कृषक एवं लघु/सीमान्त कृषक को देय अनुदान के अनुसार किया जायेगा।''

फव्वारा संयंत्र मॉडल की इकाई लागत की गणना उद्यान विभाग के द्वारा पर निर्धारित इकाई लागत के अनुसार की जायेगी।

ब– मोबाईल रेनगन– अधिक घनफल वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (मोबाईल रेनगन) का उपयोग विशाल क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। अनाज एवं दलहनी फसलों की सिंचाई के लिए मोबाईल रेनगन कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 15000/– प्रति इकाई जो भी कम हो, अनुदान देय है।